...बेटी पढ़ाओ योजना में विज्ञापन पर केवल 2 फीसदी खर्च हुआ : केंद्र

/ नई दिल्ली,
...द्र सरकार ने ...किया कि बेटी ... पढ़ाओ ...जना के तहत ...ल 2 प्रतिशत ... न कि 80 ... पहले कुछ ...किया गया था। ... विकास राज्य ...र से पूछा गया ...पी योजना का ... विज्ञापनों पर ...उन्होंने जवाब ...यसभा को इस ...उत्तर में ठाकुर ... वर्ष 2020-...25 के बीच ...ल 335.37 ...र्च हुए, जिनमें ... करोड़ रुपए ... पर खर्च किए ...र्च का लगभग ...है। ठाकुर के ...न और मीडिया ...र्च 2020-21 ...के बाद के वर्षों में इस मद के तहत कोई राशि खर्च नहीं की गई।

...कैद;

...बरी

...रा, मेरा करियर
... सिपाही गुरमुख ...सिंह ने कहा, हम ...हैं। दोषियों को ... मिलनी चाहिए ...से मेरी पूरी जिंदगी ...स में नौकरी लग ...ट लिस्ट में आ ...झूठे आरोपों की ...हीं मिली। इन्होंने ...कर दिया।

PSPCL

पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

(पंजीकृत कार्यालयः पीएसईबी मुख्य कार्यालय, दि माल, पटियाला)
कार्पोरेट पहचान नंबर (सीआईएनयू40109पीबी2010एसजीसी033813 वैबसाइट : www.pspcl.in
(मोबाइल नं.: 96461-18754)

जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड, प्लॉट संख्या 10, पैगाह कॉलोनी, सरदार पटेल रोड, हैदराबाद, सिकंदराबाद, तेलंगाना - 500003

सार्वजनिक सूचना

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टू-अप की स्वीकृति और 540 मेगावाट (2X270 मेगावाट) गोइंदवाल साहिब ताप विद्युत परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 हेतु कुल राजस्व आवश्यकता का पूर्वानुमान/शुल्क निर्धारण हेतु पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (पीएसईआरसी) के समक्ष जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड (जीवीके) द्वारा दायर याचिका संख्या 28/2025 के संबंध में आम जनता/हितधारकों से आपत्तियां/टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु। जीवीके ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 और 86 के अंतर्गत, पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण हेतु नियम व शर्तें) विनियम, 2022 के अंतर्गत, पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका संख्या 28/2025 दायर की है। माननीय आयोग ने दिनांक 06.06.2025 के आदेश द्वारा याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया है।

1. सभी को सूचित किया जाता है कि जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टू-अप की मंजूरी और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता का पूर्वानुमान/वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ का निर्धारण करने की मांग करते हुए पीएसईआरसी के समक्ष याचिका संख्या 28/2025 दायर की है।
2. याचिका, दिनांक 06.06.2025 के आदेश के तहत पीएसईआरसी द्वारा उठाए गए प्रश्नों के बिंदुवार उत्तर के साथ, पीएसपीसीएल की वेबसाइट अर्थात https://www.pspcl.in/Tariff-Petitions-of-GVK-Power.aspx और पीएसईआरसी की वेबसाइट अर्थात https://pserc.punjab.gov.in/ पर उपलब्ध है और वहां से डाउनलोड की जा सकती है।
3. जीवीके द्वारा दायर याचिका संख्या 28/2025 पर आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ सुझाव, सहायक सामग्री सहित, सचिव, पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग, साइट संख्या 3, ब्लॉक बी, सेक्टर 18-ए मध्य मार्ग, चंडीगढ़ को व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा इस सूचना के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसकी एक प्रति जीवीके/याचिकाकर्ता को ईमेल आईडीः sudhakar.thottempudi@gatp.in पर भी भेजी जानी चाहिए और इसका प्रमाण सचिव, पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग को प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
4. पीएसईआरसी को आपत्तियां/टिप्पणियां/सुझाव सॉफ्ट कॉपी के साथ 10 प्रतियों में दाखिल किए जाने चाहिए। हार्ड कॉपी पर आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए और उस पर आपत्ति भेजने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डाक पता अंकित होना चाहिए। सभी आपत्तिकर्ता अपनी आपत्तियों की सॉफ्ट कॉपी सचिव, पीएसईआरसी को ईमेल आईडी secretarypsercchd@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। यदि आपत्ति किसी संगठन या उपभोक्ताओं के किसी वर्ग की ओर से दाखिल की जाती है, तो इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।
5. याचिका संख्या 28/2025 की सुनवाई के साथ-साथ जन सुनवाई 27.08.2025 को सुबह 11:30 बजे पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग, साइट नंबर 3, ब्लॉक बी, सेक्टर 18-ए मध्य मार्ग, चंडीगढ़ के कार्यालय में की जाएगी। सभी आपत्तिकर्ता, जिन्होंने आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि तक पीएसईआरसी के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं तथा अन्य व्यक्ति/संगठन जो उपर्युक्त मामले पर पीएसईआरसी के समक्ष अपने विचार/सुझाव प्रस्तुत करने में रुचि रखते हैं, भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं।

GATP-35/25

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता।

DPR (PB) 1079/12/2025-26/1511 जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड

नगर निगम चंडीगढ़